न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

हनुमान सिंह बनाम मोहन सिंह

किस्म मुकदमा 47/2018 मु. नं. वर्ष

दिनांक	आज्ञा-पत्र
21/10/22	पत्रावली पेश हुयी। वकील पक्षकार उपस्थित आवेदन अ० धारा 212 RTA की बहस सुनी गयी है। प्रकरण इस प्रकार से है। ग्राम मैलासी प०स० रसीदपुरा में भूमि ख० न० 403/537 रकबा 1.68 हैक्टर वादी चली आ रही है। इसको पूर्व खातेदार भागचन्द से दिनांक 30/11/92 को विक्रयनामा द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। इस प्रकार उक्त भूमि स्वयं अर्जित भूमि है। प्रतिवादी स०2 की द्वारा अपने चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 27/12/2001 प्रशासन गांवों के संग के आदेश क्रमांक 7084 के द्वारा वादी की भूमि में से 0.84 हैक्टर भूमि बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अप्रार्थी स०1 के हक में नामान्तरण खोलने का आदेश पारित किया जिस पर नामान्तकरण स. 233 दिनांकित 24/12/2001 के द्वारा रेवन्यू रिकार्ड में अंकित की गयी है। जबकी उक्त भूमी का सहखातेदार व उत्तराधिकारी भी नही है। स्वयं अर्जित भूमि को प्रतिवादी स०1 के हक में रेवन्यु रिकार्ड में अंकित होने निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी स०1 पारित आदेश दिनांक 27/12/2001 क्रमांक 7084 फ्रॉड फेन्ट आदेश की श्रेणी में आता है। अत: वर्णित भूमि को तादाद से दावा प्रतिवादी गण को जरिये अस्थायी

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाने पर अप्रार्थी स.1 जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब आवेदन मय काउन्टर आवेदन पेश किया है। अप्रार्थी स.2 की तलबी पुर्नस्थ से हो जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी स.1 का जवाब मय काउन्टर आवेदन के तथ्य इस प्रकार से है। वादग्रस्त भूमि ख.नं. 403/534 रकबा 1.68 हेक्टर का प्रार्थी एवं अप्रार्थी स.1 के मध्य आपसी सहमति से वर्ष 2001 में ही विभाजन हो गया था जिसमें 0.84 हेक्टर प्रार्थी व 0.84 हेक्टर भूमि अप्रार्थी के हिस्से 2 अलग अलग खसरा नम्बरों से विभाजित कृषि भूमि है। अप्रार्थी स.1 का बड़ा भाई हनुमान सिंह संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान होकर घर का मुखिया था उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रार्थी एवं अप्रार्थी स.1 की संयुक्त धन राशि से क्रय की गई संयुक्त सम्पदा रही है। जिसको आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था जिसके कब्जा बाबत है। प्रार्थी दिनांक 30/11/92 के विक्रय-पत्र की आड़ में मिथ्या आवेदन प्रस्तुत किया है। कोई साजिश नहीं की गयी है ना ही दिनांक 27/12/2001 को पारित आदेश फ्रोडुलेण्ड आदेश है तथा नामान्तकरण स.233 वैधा है।

प्रार्थी जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने की अद्धमकियां धमकी दे रहा है। अतः प्रार्थी को तादौराने प्रतिदावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे भूमि ख.नं. 0571/53J (1403/531) की रकबा 0.84 हैक्टेयर पर अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा कब्जा काश्त में दखल-दाजी नहीं करे।

प्रार्थी ओर जवाब आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब के तथ्य इस प्रकार से है। अप्रार्थी सं. 1 के पिता दुदाराम के चार संतान पुत्र व एक पुत्री हुयी। दुदाराम की मृत्यु के बाद संताने अपने पृथक पृथक एकांकी परिवार के रूप में जीवनयापन करते है। जो संयुक्त परिवार जैसी कोई संरक्षा स्थापित नहीं है। ना ही कोई जोइन्ट स्टाक जैसी परिकल्पना परिवार में रही सभी भाईयों की आवासीय गुवाडिया अलग-अलग है। हनुमान सिंह कैप्टन के पद से भारतीय सेना से सेवानिवृत व्यक्ति है। स्वार्जित आय से विक्रय पत्र से क्रय किया गया है तथा विक्रय पत्र को चुनौती देने का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है तथा बेदखल करने की धमकी देने का तथ्य निराधार है। अतः प्रति आवेदन निरस्त किया जाने योग्य है।

उभय आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA तथा प्रति आवेदन को सुनी गयी है।

न्यायालय

बनाम

किस्म मुकदमा　　　　मु. नं.　　　　वर्ष

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	पेन नामान्तकरण का कभी दुरुपयोग नहीं किया है। प्रार्थी ने धारा 251 रा. का. अधि. की विभाजन प्रक्रिया को बाधित करने की लिये स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनी चाहि जो स्थगित फरमायी जावे। तथा प्रतिवादी से बताया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी स. की common stock धन राशि से क्रय भूमि क्रय की गई थी। आपसी सहमति से संयुक्त सम्पदा का विभाजन कर लिया जिसके अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जि स. नं. 403/537 मीन डाले गये वर्तमान ख. 572/534 दर्ज है। विभाजन आदेश के विरुद्ध न्यायालय जिला कलक्टर सी के समक्ष अपील की गयी जो वर्तमान अपील सं. 41/2015 की अपर जिला कलक्टर सीकर के समक्ष स्थानान्तरण होकर दिनांक 30/5/18 को निर्णय हुआ एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया एवं सहमति से ~~[illegible]~~ विभाजन का पारित दिनांकित 27/12/2001 की पुष्टि कर दिया उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है। कोई अपील किसी भी न्यायालय में विचाराधी नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपसी सहमति से विभाजन की इस आवेदन पत्र में पूर्व की है। जबकि आदेश 23 नियम 3 सी की तहत पोषणीय नहीं है।

बहस के दौरान प्रार्थी व अप्रार्थी की
वकील ने आवेदन व जवाब के तथ्यों
को ही दोहराया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया है
बहस पर मनन किया गया है। मूल
स्थगन से वाद उद्घोषणा के लिये प्रस्तुत
किया गया है चूंकी वाद के निर्णय होने
तक प्रार्थी व अप्रार्थीन को क्षति व वाद
बहुलता अधीक होने की सम्भावना
है। तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी स० 1 तथा
अप्रार्थी के प्रार्थी को प्रतिबन्धीत करने
हेतु निवेदन किया है। अत: ग्राम मेलासी
प०ह० रसीदपुरा की भूमि ख०न० 403/537
रकबा 1.68 हैक्टर मे तादौराने दावा
प्रार्थी व अप्रार्थी गण को राजस्व रिकॉर्ड
तथा मौके की यथास्थिती बनाये रखने
बावत पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो। तज्वीज तकमील दाखील
दफ्तर किया जावे।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक 21/10/22 को
खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर